निर्णय वइजलास श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 155/2010दावा
दायरा दिनांक 02.11.2010
निर्णय दिनांक :– 11-4-17

उनवान

देवकीनन्दन आत्मज रामप्रताप जाति महाजन निवासी ग्राम रावा हाल मुकाम छीपाबड़ौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)

बनाम

1. नरेश कुमार
2. सुरेश कुमार नाबालिक जर्ये वलि आत्मज मनमोहन उर्फ चौथमल जाति काछी निवासी छीपाबड़ौद काछियों के मन्दिर के पास छीपाबड़ौद।
3. सत्यनारायण आत्मज मथुरालाल जाति बैरागी
4. द्रोपदी बाई पत्नि किशनगोपाल जाति धाकड़ निवासी रतनपुरा तहसील छीपाबड़ौद
5. हीरालाल
6. जयनारायण
7. घनश्याम समस्त आत्मज प्रभूलाल जाति काछी निवासी वार्ड नम्बर 3 छीपाबड़ौद
8. जगदीश पुत्र श्रीलाल जाति काछी निवासी छीपाबड़ौद
9. बाबूलाल पुत्र बिरधीलाल
10. मनभर बाई पत्नि रामप्रताप जाति धाकड़ निवासी रावा तहसील छीपाबड़ौद
11. मुकुट बिहारी पुत्र राधाकिशन जाति महाजन निवासी हनुमान चौराहा छीपाबड़ौद
12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद
13. राजस्थान सरकार जर्ये उपपंजियन अधिकारी छीपाबड़ौद
14. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा छीपाबड़ौद।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 11-4-17

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री अनिल कुमार जैन वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया, कि विवादित आराजी ग्राम छीपाबड़ौद की 3 बीघा 16 बिस्वा है, जिसके खसरा नंबर 1090 है। जिसमें 1/2हिस्सा खातेदार अब्दुल रहमान पुत्र इमाम बक्श का, खातेदार अब्दुल रहमान के स्वर्गवास पश्चात् रहमान के वारिसान इश्हाक मोहम्मद, रफीक मोहम्मद, शरीफ मोहम्मद, जमील अहमद, लतीफ मोहम्मद,

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

आत्मज अब्दुल रहमान, जैतुन बाई बेवा अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी छीपाबड़ौद के खाते दर्ज है। उक्त विवादित भूमि खसरा नंबर 1090 कुल रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा के खातेदार रहमान के समस्त वारिसान के 1/2 हिस्से में से 1/9 हिस्सा अर्थात् 3600 वर्गफीट 60X60 वर्गफीट उत्तर पूर्व का विक्रेतागण रहमान के वारिसान ने वादी को विक्रय कर दिया, तथा विक्रय मूल प्राप्त कर दिनांक 04.05. 2000 को वादी को बेचान रजिस्ट्री तस्दीक करा दी। वादी को मौके पर जाकर कब्जा व स्वामित्व सुपुर्द कर दिया। जिस पर वादी आज भी काबिज है, ओर क्रय शुदा आराजी का निरन्तर रूप से उपयोग, उपभोग कर रहा है। वादी ने अपने द्वारा क्रय शुदा आराजी 60X60 वर्गफुट पर नीव भरवाकर फाउन्डेशन कर ली है। 20X14 वर्ग फुट लम्बाई पूर्व पश्चिम, चौड़ाई उत्तर दक्षिण पर निर्माण कार्य करवा लिया है। शेष सफेद भूमि की शक्ल मे है, जिसका वादी निरन्तर रूप से उपयोग एवं उपभोग करता चला आ रहा है। वादी के द्वारा क्रय शुदा आराजी की चतुर्थ सीमाये निम्नांकित है। पूर्व में आम रोड छीपाबड़ौद रतनपुरा रोड पश्चिम मे मनमोहन की बाडी उत्तर एवं दक्षिण में मनमोहन की आराजी स्थित है। वादी ने भूमि का कर्न्वजन कराने हेतु पटवारी हल्का से जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की तब प्रार्थी वादी को पता चला की वादी का नाम खसरा नंबर 1090 कुल रकबा 3.16 बीघा के 1/2 हिस्सा के 1/9 हिस्से में खातेदारी मे दर्ज नही हुआ है। वादी का नाम इन्तकाल मे दर्ज नही हुआ है, ओर वादी के वाद जिन्होने कृषि आराजी क्रय की थी, उनका नाम खातेदारी मे दर्ज हो गया है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 11 के खाते जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड व इन्तकाल प्रतिवादी के दर्ज होने के पहले विधि अनुसार सबसे पहले वादी के नाम उसका क्रय शुदा आराजी खाते मे दर्ज जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड इन्तकाल खोलना चाहिये था, उसके बाद ही शेष रकबा प्रतिवादी क्रम 1 ता 11 के नाम दर्ज होना चाहिये था। इसलिए प्रतिवादीगण के नाम खोला गया। इन्तकाल जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में अंकन अवैध है। इस वजह से विधिक अनुसार वादी ने खातेदारी घोषणा पृथक विभाजन खातेदारी जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में सही अंकन दर्ज करवाने के लिए इन्द्राज दुरस्ती हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद प्रस्तुत किया है, जिसका वादी वैध अधिकारी है।

वाद कारण दिनांक 13.10.2013 को उत्पन्न हुआ, जब वादी ने भूमि कर्न्वजन हेतु राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की ओर उसकी जानकारी में आया कि उसका नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है, ओर प्रतिवादीगण इस हेतु इन्कार हो गये। यह तारीख ही इस वाद पत्र व बिनाय मुखास्मत करार दी जाती है। खसरा नंबर 1090 का कुल रकबा 3.16 बीघा जिसमे 1/2 हिस्सा रहमान का था। रहमान के स्वर्गवास पश्चात् हिस्सा 1/2 रहमान के वारिसान के खातेदारी एवं का काश्त मे था। रहमान के वारिसान मे अपने खाते व कब्जे मे अंकित 1/2 हिस्से मे से 1/9 हि उत्तर पूर्व का वादी को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय मूल प्राप्त कर दिनांक 04 2000 को वादी को बेचान कर दिया है, जिस पर वादी काबिज है, लेकिन राजस्व विभाग के अधि एवं कर्मचारियों की लापरवाही से वादी के नाम उसके द्वारा क्रय की गई आराजी को खाते मे दर्ज किया है, और पश्चात्वर्ती क्रेतागण प्रतिवादी क्रम 1 ता 11 के खातेदारी में रहमान के वारिसा समसति 1/2 हिस्सा खसरा नंबर 1090 प्रतिवादी क्रम 1 ता 11 के नाम रकवा दर्ज कर दिया ग वादी अपने द्वारा क्रय शुदा आराजीका राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने का अपने नाम खातेदारी का विधिक अधिकारी है, तथा शान्ति पूर्वक स्थायी निषेधाज्ञा की डिग्री प्राप्त करने का विधिक है। वादी के द्वारा खसरा नंबर 1090 रकबा 3.16 बीघा की 1/2 हिस्से में से 1/9 हिस्सा उत्त

उपखण्ड अधिकारी
जिला बारां

Scanned by CamScanner

(5)

[illegible] दिनांक 04.05.2000 के अनुसार [illegible] नंबर 1080 रकबा 3.16 बीघा में 1/14 [illegible]

क्रियात्मक आदेश

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 155/2010	धारा अन्तर्गत 188, 88, 53 RTA	निर्णय दिनांक 11-4-17
समक्ष : श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषक वादी— श्री अनिल कुमार जैन	अभिभाषक प्रतिवादी—	

वाद शीर्षक

उनवान

देवकीनन्दन आत्मज रामप्रताप जाति महाजन निवासी ग्राम रावा हाल मुकाम छीपाबड़ौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)

बनाम

1. नरेश कुमार
2. सुरेश कुमार नाबालिक जर्ये वलि आत्मज मनमोहन उर्फ चौथमल जाति काछी निवासी छीपाबड़ौद काछियो के मन्दिर के पास छीपाबड़ौद।
3. सत्यनारायण आत्मज मथुरालाल जाति बैरागी
4. द्रोपदी बाई पत्नि किशनगोपाल जाति धाकड़ निवासी रतनपुरा तहसील छीपाबड़ौद
5. हीरालाल
6. जयनारायण
7. घनश्याम समस्त आत्मज प्रभूलाल जाति काछी निवासी वार्ड नम्बर 3 छीपाबड़ौद
8. जगदीश पुत्र श्रीलाल जाति काछी निवासी छीपाबड़ौद
9. बाबूलाल पुत्र बिरधीलाल
10. मनभर बाई पत्नि रामप्रताप जाति धाकड़ निवासी रावा तहसील छीपाबड़ौद
11. मुकुट बिहारी पुत्र राधाकिशन जाति महाजन निवासी हनुमान चौराहा छीपाबड़ौद
12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद
13. राजस्थान सरकार जर्ये उपपंजियन अधिकारी छीपाबड़ौद
14. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा छीपाबड़ौद।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है, विवादित आराजी वाके ग्राम छीपाबड़ौद के खसरा नंबर 1090 रकबा 3.16 बीघा के हिस्सा 1/2 में से हिस्सा 1/9 अर्थात कुल भूमि 3.16 बीघा में 1/18 हिस्सा अर्थात 4 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाता है। अतः आराजी ख0नं0 1090 की 2 बिस्वा भूमि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 खाते व हिस्से में से एवं 2 बिस्वा भूमि प्रतिवादी क्रम 5,6,7 के हिस्से में से कम करते हुए वादी को 4 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खातेदारान की भूमि अप्रभावित रहेगी। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है, कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करें।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक ....11-4-17........ को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी,
छीपाबड़ौद

उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां

व्ययानुतोष

क्र. सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		

Scanned by CamScanner